झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, रांची–834001

प्रेस विज्ञप्ति

भूतत्वेत्ता (विज्ञापन संख्या–01/2017) एवं रसायनज्ञ (विज्ञापन संख्या–02/2017) प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में आवश्यक सूचना।

दिनांक–16.09.2018 को आयोजित भूतत्वेत्ता (विज्ञापन संख्या–01/2017) एवं रसायनज्ञ (विज्ञापन संख्या–02/2017) प्रतियोगिता परीक्षा के लिखित परीक्षा का परीक्षाफल दिनांक–25.10.2019 को प्रकाशित है। साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर अपलोड है।

2. आयोग द्वारा औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थी निर्धारित कार्यक्रमानुसार अभिलेख सत्यापन/साक्षात्कार हेतु पूर्वाह्न–9:00 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे जिसका कार्यक्रम निम्नवत् है:–

कार्यक्रम	दिनांक	समय
अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार	18.11.2019	9:00 बजे पूर्वाह्न्

3. अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र (Call Letter) डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे। अभ्यर्थी आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध सूची अनुसार **दिनांक–08.11.2019** से अपना **रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्म तिथि** डालकर बुलावा पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बुलावा पत्र डाउनलोड करने में कोई असुविधा होने पर आयोग के हेल्पलाईन नम्बर **0651–2213009/2220111/9431301419/9431301636** पर कार्यदिवस में पूर्वाह्न–11:00 बजे से अपराह्न–5:00 बजे तक सम्पर्क कर सकते है।

4. यदि कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश वेबसाईट से अपना बुलावा पत्र प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो वे आयोग के पूछताछ काउन्टर पर **दिनांक–18.11.2019 से पहले कार्यालय अवधि में अपना नाम एवं जन्म तिथि** सहित आवेदन देकर प्राप्त कर सकते हैं।

5. अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वेबसाईट से डाउनलोड किये गए बुलावा पत्र में कोई त्रुटि हो तो आयोग के पूछताछ काउन्टर पर **दिनांक–18.11.2019 से पहले** लिखित आवेदन देकर त्रुटि सुधार करा लें इसके बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

6. अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार के दौरान निम्न प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति दो सेटों में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:–

- (i) शैक्षणिक अर्हत्ता का प्रमाण (विज्ञापन की कंडिका–1 के अनुसार)
- (ii) जिस संस्थान में उसने अंतिम अध्ययन किया है उसके प्रधान/नियोजक से प्राप्त चरित्र एवं आचरण प्रमाण पत्र।
- (iii) किसी निबंधित चिकित्सक से प्राप्त स्वस्थ तथा आरोग्य (फिटनेस) का प्रारंभिक प्रमाण पत्र।
- (iv) आयु का प्रमाण (मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र अथवा समकक्ष)
- (v) मैट्रिक अथवा समकक्ष अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र,
- (vi) इंटरमीडिएट अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र,
- (vii) स्नातक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र,
- (viii) स्नातकोत्तर अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र,
- (ix) अनुमंडल पदाधिकारी से अन्यून पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (केवल आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए)
- (x) सक्षम प्राधिकारी से निर्गत निःशक्तता (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) प्रमाण पत्र,
- (xi) दो पासपोर्ट साईज का रंगीन अद्यतन फोटोग्राफ।
- (xii) पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड।
- (xiii) अभिलेख सत्यापन के दौरान उक्त कंडिकाओं में उल्लेखित सभी प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

कृ0पृ0उ0

(xiv) अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। अभिलेख सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख के आधार पर ही अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी।

ह0 / –
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग,राँची।